(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–छिंदवाडा

I/विविध/छिंदवाडा/अ0अ/2018/1368

मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला रायसेन म0प्र0 -- आवेदक

विरूद्ध

1. आबकारी आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर
2. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, जबलपुर म0प्र0
3. जिला आबकारी अधिकारी, जिला छिंदवाडा म0प्र0
4. जिला आबकारी अधिकारी, सोम डिस्टजरीज प्रा0 लि0, सेहतगंज, जिला रायसेन – अनावेदकगण

20.2.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक ... दिनांक 21.3.18 ...
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय आबकारी आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5(1)/2014–15/2225 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2014 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 2660/पीबीआर/2014 प्रस्तुत की गयी थीं, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 18.07.2016 पारित किया गया है। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)
2. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गयी थी, उसमें पारित आदेश दिनांक 18.07.2016 में लिपिकीय त्रुटिवंश, अधीनस्थ न्यायालय, आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 5(1)/2014–15/2225 लिखा गया है, जबकि क्रमांक 5(1)/2014–15/2245 होना चाहिए था, इसलिए केवल आदेश में जहॉ–जहॉ प्रकरण क्रमांक में 2225 आया है, उक्त स्थान पर प्रकरण क्रमांक 2245 अंकित किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। (आबकारी द्वारा पारित आदेश की फोटो प्रति संलग्न है।

अतएव निवेदन है कि आवेदन–पत्र स्वीकार कर आदेश में उल्लेखित प्रकरण क्रमांक 2225 के स्थान पर प्रकरण क्रमांक 2245 अंकित किये जाने के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/विविध/छिंदवाड़ा/आ.अ./2018/1368

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. दिवेदी अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षों को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 2660-पीबीआर/2014 में पारित दिनांक 18.07.2016 को आदेश पारित किया गया है। आदेश में टंकण की त्रुटि से आबकारी आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 5(1)/2014-एक/15/2225 लिखा गया है, जबकि प्रकरण क्रमांक 5(1)/2014-एक/15/2245 होना चाहिए, जिसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है। आवेदक द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि प्रकरण के अवलोकन से होती है। अत: न्यायहित में यह आदेश दिए जाते हैं कि तत्कालीन सदस्य द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 2660-पीबीआर/2014 पारित आदेश दिनांक 18.07.2016 में जहां-जहां प्रकरण क्रमांक 5(1)/2014-एक/15/2225 लिखा है, वहां प्रकरण क्रमांक 5(1)/2014-एक/15/2245 पढ़ा जाए। उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	